न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 62/2020 G.C.M.S. No. 2020/00239 दर्ज दिनांक : 03.11.2020

अपीलार्थिगण:

1. जालमसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह जी, उम्र 63 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पादरला, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. श्रीमती छगनी पुत्री नन्दा पत्नि ताराराम, जाति नाई, निवासी पादरला, तहसील बाली, जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली, तहसील बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध बखिलाफ संशोधन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2003 श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली, प्रकरण संख्या 141/1992 बअनवान छगनी बनाम जालमसिंह वगैरह एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 25.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली प्रकरण संख्या 141/1992 बअनवान छगनी बनाम जालमसिंह वगैरह बखिलाफ संशोधन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम पादरला के खसरा संख्या 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 337, 338 कुल खसरा 13 कुल रकबा 5–05 हैक्टेयर भूमि बसामलात बंटवारा की प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.1999 को पारित की गई। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त होने पर दिनांक 27.03.2000 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई थीं। अपीलांट का अंतिम फैसला होने के कारण अधिवक्ता से संपर्क नहीं रहा व अधिवक्ता पास पत्रावली भी उपलब्ध नहीं रहीं। अंतिम डिक्री के बाद दिनांक 05.04.2000 को एक रिव्यू प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा जो वाद में वादिनी है, ने धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिनी के हिस्से में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमि के टुकड़े किए गए हैं। इस कारण से रास्ता दिलवाया जावें। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री में बदलाव कर पुनः दिनांक 13.01.2003 को पुनः अंतिम डिक्री पारित की गई। जोकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। चूंकि दिनांक 05.04.2000 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, तत्समय वाद का फैसला कर दिया गया था। इसके बाद पत्रावली पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रेकर्ड पर लेकर दिनांक 12.07.2002 को आदेशिका लिखी गई व प्रतिवादी अपीलांट को तलब किये जाने का आदेश दिया गया। जबकि कानूनन निर्णयशुदा पत्रावली में आदेशिका नहीं लिखी जानी चाहिए थी एवं धारा 151 सीपीसी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके बाद दिनांक 26.07.2002 को आदेशिका लिखी गई व अधिवक्ता प्रतिवादी को तलब किया गया। उनकी ओर से यह जाहिर किया गया कि प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी/अपीलांट को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.08.2002 को आदेशिका दर्ज कर रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस की रसीद पेश करना जाहिर किया। परंतु पत्रावली में अपीलांट की तामील की प्राप्ति रसीद पेश नहीं की गई। अपीलांट की कोई तामील नहीं हुई। इसके बावजूद दिनांक 13.08.2002 की आदेशिका के द्वारा बिना विधिवत तामील के अपीलांट की तामील मानकर पत्रावली अंतिम बहस में रख दी गई। अपीलांट की न तो तामील हुई तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया एवं ना ही जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा जो वाद पेश किया गया, इसमें By metes and bounds की बंटवारे की डिक्री ही चाई गई थीं। इसके अलावा वाद में किसी भी प्रकार से कोई रिलीफ नहीं चाही गई थीं। रिलीफ के आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.1999 को पारित की गई व इसी अनुसार दिनांक 27.03.2000 को अंतिम डिक्री पारित की गई थीं। परंतु रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा जो रिव्यू का आवेदन अंतिम डिक्री पारित होने के बाद दिनांक 05.04.2000 को पेश किया, उसके आधार पर अंतिम डिक्री को रिव्यू कर दिया गया। जो रिव्यू निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून के हैं। जब वाद के रास्ते के संबंध में कोई रिलीफ ही नहीं चाही गई हैं तो संशोधित डिक्री से रास्ता दिये जाने का आदेश पूर्णतया विधि व तथ्यों के विपरीत विदित होता है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में बंटवारा रिपोर्ट पुनः मंगवाई गई। जिसमें अलग–अलग खसरे दर्ज किये गये। अपील के साथ अपीलांट द्वारा नजरी नक्शा पेश किया गया है। इस नजरी नक्शे में न्यायोचित विकल्प रेस्पोंडेंट संख्या एक के लिए दिये गये हैं। बंटवारा रिपोर्ट में अपीलांट का खसरा संख्या 329 की भूमि व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के खसरा संख्या 333 की कृषि भूमि दी गई हैं। संशोधित निर्णय व डिक्री में खसरा संख्या 329 जो अपीलांट को दिया गया है, इसमें डिक्री संशोधित कर खसरा संख्या 329 के दक्षिण की ओर माठ की तरफ अंतिम डिक्री में खसरा संख्या 329/1 दर्ज कर अपीलांट की भूमि में से 6 मीटर यानि 0.03 हैक्टेयर रास्ता दिया गया है, जो रास्ता खसरा संख्या 333 में जाना दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 329/1 AB लिये जाने का कानूनी अधिकार रेस्पोंडेंट संख्या 1 को प्राप्त नहीं थें। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की खसरा संख्या 328 की भूमि स्थित है, जिसका अंतिम छोर खसरा संख्या 333 से सटाकर है एवं खसरा संख्या 328 व 333 रेस्पोंडेंट संख्या 1 के ही हैं, जिसमें से आसानी से आया जा सकता है तथा नजरी नक्शें में C एवं D रास्ता विकल्प के रूप में रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पास उपलब्ध था। परंतु तहसीलदार द्वारा जानबूझकर रेस्पोंडेंट संख्या 1 से मिलीभगत कर इस विकल्प को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता दर्शाया गया व इसके आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं प्रदान करते हुए एवं विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उक्त जैर अपील संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपीलांट ने शपथपत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त सामलात भूमि के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.1999 को पारित की गई। तत्पश्चात दिनांक 27.03.2000 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांट का अंतिम फैसला होने के कारण अधिवक्ता से संपर्क नहीं रहा। अंतिम डिक्री के बाद दिनांक 05.04.2000 को एक रिव्यू प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा जो वाद में वादिनी है, ने धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिनी के हिस्से में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमि के टुकड़े किए हुए हैं। अतः रास्ता दिलाया जावें। अंतिम डिक्री में बदलाव कर दिनांक 13.01.2003 को पुनः अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। राजस्व रेकर्ड में भी रास्ते की तरमीम की गई हों, तो अपीलांट को जानकारी नहीं हैं। दिनांक 01.09.2020 को रेस्पोंडेंट अपीलांट के पास इसकी कब्जाशुदा भूमि खसरा संख्या 329 के दक्षिण छोर पर आकर माठ तोड़ने की कोशिश की, तब अपीलांट द्वारा उसे रोका गया, तब रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने निर्णय के बारे में बताया। तत्पश्चात अपीलांट बाली गया एवं अधिवक्ता से संपर्क कर नकल आवेदन पेश किया, जो दिनांक 04.09.2020 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को जानकारी हुई। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपीलांट को मैरिट पर सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। नरमी का रूख अपनाते हुए विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें। म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की–

1. 2009 (1) CJ (Cri.)(SC)
2. 2017 AIR SC. 779

तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने बहस के दौरान निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की–

1. 2012 (2) DNJ 1082
2. 2012 (2) DNJ 781
3. 2023 (2) DNJ 583
4. 2021 (4) DNJ 1046
5. 2020 (3) DNJ 697

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. O 5 R 9 C.P.C.

7. 2024 (1) RRT

बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली एवं इन पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन करते हुए प्रकरण के सम्यक निर्णय में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण में सर्वप्रथम म्याद के बिंदु पर विनिश्चय के साथ प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2003 के विरूद्ध धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत हस्तगत अपील दिनांक 03.11.2020 को प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंबकाल के संबंध में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि "उक्त दोनों अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। राजस्व रेकर्ड में भी रास्ते की तरमीम की गई हों, तो अपीलांट को जानकारी नहीं हैं। दिनांक 01.09.2020 को रेस्पोंडेंट अपीलांट के पास इसकी कब्जाशुदा भूमि खसरा संख्या 329 के दक्षिण छोर पर आकर माठ तोड़ने की कोशिश की, तब अपीलांट द्वारा उसे रोका गया, तब रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने निर्णय के बारे में बताया। तत्पश्चात अपीलांट बाली गया एवं अधिवक्ता से संपर्क कर नकल आवेदन पेश किया, जो दिनांक 04.09.2020 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को जानकारी हुई। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपीलांट को मैरिट पर सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। नरमी का रूख अपनाते हुए विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।"

3. रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि संशोधित डिक्री दिनांक 13.01.2003 की जानकारी अपीलांट को शुरू से ही रही हैं। दिनांक 01.09.2020 को रेस्पोंडेंट द्वारा माठ तोड़ने की कोशिश करने पर अपीलांट को प्रथम बार जानकारी होने का कथन गलत व अस्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट वादी द्वारा अंतिम डिक्री के बाद प्रस्तुत आवेदन व पत्रावली दिनांक 12.07.2002 को न्यायालय में पेश हुई। जिसमें अपीलांट प्रतिवादी के अधिवक्ता को सूचित किए जाने के आदेश पारित किया गया, बाद में पेशी दिनांक 26.07.2002 को अपीलांट्स प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में नो इंस्ट्रक्शन प्लीड करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब कर पेशी दिनांक 13.08.2002 को नियत की गई, लेकिन प्रतिवादी अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वादी द्वारा नोटिस की पोस्टल रसीद न्यायालय में पेश की। जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत अंतिम कार्यवाही की गई। रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पुनः अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ था, इस आधार पर नोटिस तामील की उपधारणा की जाएगी। अतः संशोधित डिक्री की जानकारी नहीं होने का कथन झूठा है। अपीलांट द्वारा 17 वर्ष बाद जानबूझकर अत्यधिक विलंब से अपील प्रस्तुत की हैं। अतः अपील खारिज फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 27.03.2000 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। आदेशिका दिनांक 12.07.2002 के अंकन अनुसार वकील वादिनी के रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पुनः सुनवाई में ली जाकर संबंधित हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई एवं न्यायहित में अधिवक्ता प्रतिवादी को सुनना आवश्यक समझते हुए प्रतिवादी/प्रतिवादी अधिवक्ता को सूचित करने के निर्देश के साथ पत्रावली दिनांक 25.07.2002 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 26.07.2002 के अनुसार अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड करने से प्रतिवादी की रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से तलबी के निर्देश के साथ पत्रावली दिनांक 13.08.2002 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 13.08.2002 के अनुसार वकील वादी ने प्रतिवादी को रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित नोटिस की प्रति व रसीद पेश की। प्रतिवादी अनुपस्थित रहा। पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। आदेशिका दिनांक 13.01.2003 के अनुसार प्रकरण में संशोधित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो अपीलाधीन है।

5. अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सम्मन प्रेषित किए गए। जिसकी पोस्टल रसीद भी अधिवक्ता वादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड ए.डी. डाक सम्मन अदम तामील न्यायालय को पुनः प्राप्त नहीं हुए। इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9(5) के परंतुक में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है–

....."Provided that were the summons was properly addressed, prepaid and duly sent by registered post acknowledgement having been lost or mislead, or for any other reason, has not been recieved by the court within 30 days from the date of issue of summons."

6. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व प्रतिवादी को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सम्मन प्रेषित करने, सम्मन प्रेषित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक ए.डी. न्यायालय को पुनः प्राप्त नहीं होने एवं अधिवक्ता वादी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित सम्मन की प्रति एवं पोस्टल रसीद पेश करने से यह सहज धारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि अपीलांट रेस्पोंडेंट को समुचित रूप से तामील हो चुकी थीं एवं वह बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलांट का यह कथन कि उसे समुचित तामील नहीं करवाई गई एवं उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं, पूर्णतया बेबुनियाद एवं अस्वीकार्य है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के ससम्मान अवलोकन बाद यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों में उक्त नजीरें हूबहू चस्पा नहीं होती हैं। वहीं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण में रेस्पोंडेंट के पक्ष में हूबहू लागू होती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

8. इस प्रकार अपीलांट द्वारा लगभग 17 वर्ष विलंबकाल से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने, विलंब के लिए कोई भी सद्भाविक, उचित एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं करने, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में अपीलांट को सम्यक तामील नहीं होने एवं उसे प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कथन उपर्युक्त विवेचन से नासाबित होने से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलांट द्वारा पर्याप्त तत्परता का परिचय नहीं दिया है तथा जानबूझकर एवं उपेक्षापूर्ण रवैये के साथ लगभग 17 वर्ष विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी दृष्टि से अपीलांट के प्रति नरमी का व्यवहार अपनाना परिसीमा अधिनियम की मूल भावना एवं प्रावधानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा। अतः विलंबकाल को माफ किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को खारिज/अस्वीकार किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट कालावधि बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट कालावधि बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner